

2/11/20

बकाल अर्थात् उपरोक्त

श्री ल. चवतवाल

एलए

23/11/21

रैस्को स. 1 की भीत से क्रील श्री रघुसिंह सोलंकी द्वारा बकालनामक पत्र लिखा

उत्पा लिखने से पश्चात् क्रील अंग्लो एंड रैस्को द्वारा न्यायालय में मौखिक निवेदन किया कि उक्त अधीनस्थ न्यायालय से रिमांड किया जाता है तो वसूली देने अधिवक्ताओं से बौर अपत्ति नहीं है, इस बाबू क्रील रैस्को से अधी सहमति बाहर की है। ई. न्यायहित में उच्चपल्लवान से अधिवक्ताओं की अपत्ति सहमति के आधार पर अंग्ल अंग्लिक एक्ट की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा परिणत निर्देश अंग्ल दिया जाता है एवं उक्त अधीनस्थ न्यायालय से इस निर्देश से आधार पर उचित किया जाता है कि उच्चपल्लवान से सुनबरी का समुचित निर्देश दिया जाकर पुनः विधिसम्मत निर्देश परिणत है। पत्रावली फैसल कुमार होर बाई अक्कर बाईसही वाचिह हक्कर ली

Handwritten signature

रैज मैज
काम
493
2-7-2021

राजस्व कार्यालय प्राधिकारी
पाली